पत्र सं0:–03/स्था0–13(विविध)–12/2026

निबंधित/ई–मेल

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

सुशील कुमार मिश्र,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (वाल्मी को छोड़कर)
जल संसाधन विभाग, बिहार।
अधीक्षण अभियंता
उडनदस्ता अंचल–1 एवं 2
जल संसाधन विभाग, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **विभागन्तर्गत आपके परिक्षेत्राधीन कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत/मृत लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों को ACP/MACP का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– भवन निर्माण विभाग, पटना का अधिसूचना सं0–5884(भ0) दिनांक–24.6.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभागान्तर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु "कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2026 अधिसूचित की गई है। परन्तु वर्तमान में न्यायिक वादों एवं विभिन्न पोर्टलों से प्राप्त शिकायतों (लंबित ACP/MACP) का त्वरित निष्पादन हेतु बाध्यकारी परिस्थितियॉ उत्पन्न हो गई हैं।

अतएव भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा "कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2026" के राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि 08.07.2026 से पूर्व के सभी लंबित ACP/MACP से संबंधित मामलों का पूर्व की भाँति नियमानुकूल निष्पादित करने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है तथा साथ हीं कृत कारवाई से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(सुशील कुमार मिश्र)
उप सचिव

ज्ञापांकः– 03/स्था0–13(विविध)–12/2026 4553 पटना,दिनांकः– 12/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यापालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना के विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सुशील 12.10.2026

उप सचिव

Sec-3/B.K/Letter